HRA En USUA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 23, 2013/माघ 3, 1934

No. 225

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 23, 2013/MAGHA 3, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2013

का.आ. 241(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) तथा धारा 7 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बिक्रम सिंह सजवाण, टाईप-V क्वार्टर, हेलीपैंड रोड, पी सेक्टर, ईटानगर, पापुम पारे, अरूणाचल प्रदेश-791111, को दिनांक 7 जनवरी, 2013 से पांच वर्ष की अविध के लिए या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17(30)/2012-पीएल/एनजीटी (वॉल. III)]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2013

S.O. 241(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Bikram Singh Sajwan, Type-V Quarters, Helipad Road, P Sector, Itanagar, Papum Pare, Arunachal Pradesh-791111, as the Expert Member of the National Green Tribunal with effect from 7th January, 2013 for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

[F. No. 17(30)/2012-PL/NGT (Vol. III)]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.